कार्यालय नियंत्रक नाप–तौल, म0प्र0 भोपाल

क्र. **6021** /नातौ./अ–1(1)/07 भोपाल, दिनांक :**29.12.2007**

प्रति,

समस्त उप/सहायक नियंत्रक,
समस्त निरीक्षक,
नाप–तौल
मध्य प्रदेश

विषय :– नाप–तौल उपकरणों के उपयोगकर्ताओं का पंजीयन।

संदर्भ :– राज्य शासन का ज्ञा0क्र0 13–39/07/2/29 दिनांक 12–12–2007 एवं इस कार्यालय का ज्ञा.क्र. 5895 दिनांक 19.12.07

––::–::––

संदर्भित ज्ञापनों का अवलोकन करें शासन द्वारा नाप–तौल उपयोगकर्ताओं का पंजीयन कार्य दिनांक 1.1.2008 से अनिवार्य प्रारंभ किये जाने के निर्देष जारी किये गये हैं। इस कार्यालय द्वारा संलग्न किये गये पंजीयन का आवेदन पत्र पंजीयन का प्रमाण पत्र एवं पंजीयन की इंद्राज पंजी का प्रारूप संलग्न किया गया था इस प्रारूपों में लिपिकीय त्रृटि होने से संषोधित प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। दिनांक 1.1.2008 से पंजीयन कार्य प्रारंभ हो जावे यह सुनिष्चित् किये जाने के उददेष्य से निम्नानुसार निर्देष का अनिवार्यतः पालन किया जावे :–

(1) दिनांक 1.1.2008 से जो भी व्यक्ति नाप–तौल उपकरणों के सत्यापन हेतु उपस्थित होता है उनसे पंजीयन का आवेदन पहले प्राप्त किया जावे इसके पश्चात् उनका पंजीयन प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाये पंजीयन संख्यांक इस प्रकार दी जावे कि उस संख्यांक से यह स्पष्ट हो जावे कि व्यापारी किस जिले में एवं किस निरीक्षक क्षेत्र में किस अनुक्रमांक एवं किस वर्ष में पंजीकृत हुआ है, पंजीयन क्र. देने कि लिये निम्नानुसार उदाहरण देखें :–

(1) भोपाल/क्षेत्र/001/2008
(2) भोपाल/पष्चिम क्षेत्र/001/2008

इन क्रमांकों से यह स्पष्ट होता है कि ये किस जिले के एवं किन निरीक्षक क्षेत्र कि हैं। **अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान अनुसार फेरी वालों का पंजीयन नहीं किया जाना है।**

(2) पंजीयन जारी करने के पश्चात् इस व्यापारी के नाप–तौल उपकरणों के सत्यापन की कार्यवाही की जावें एवं जारी किये जा रहे सत्यापन प्रमाण पत्र में निर्धारित स्थान पर यह पंजीयन क्र. अनिवार्यतः अंकित किया जावे।

(3) पंजीयन प्रमाण पत्र 3 प्रति में बनाया जावेगा एक प्रति व्यापारी को दी जावेगी एवं एक प्रति उप/सहायक नियंत्रक को प्रेषित की जावेगी तथा एक प्रति निरीक्षक कार्यालय में रखी जावेगी।

यदि फेरी वाले के नाप–तौल उपकरण का सत्यापन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रीकरण संख्यांक के स्थान पर फेरीवाला अंकित किया जावे। दिनांक 1.1.2008 से जारी किये जाने वाले सत्यापन प्रमाण पत्रों में रजिस्ट्रीकरण संख्यांक का ब्यौरा अंकित न करने पर यह माना जावेगा कि निरीक्षक द्वारा पंजीयन कार्य में कोई रूचि नहीं ली है एवं ऐसे निरीक्षक अनुषासनात्मक कार्यवाही के भागी होगें।

(4) प्रतिदिन किये गये पंजीयन की प्रविष्टियां निर्धारित की गई पंजी (बांटों और मापों के उपयोगकर्ताओं का रजिस्टर) में उसी दिन शाम को की जावेगी।

(5) प्रति सप्ताह की प्रगति से उचित माध्यम से निम्नानुसार प्रपत्र में प्रगति रिपोर्ट भेजी जावेगी।

सं0 क्र0	निरीक्षक क्षेत्र	सप्ताह में जारी पंजीयन प्रमाण–पत्रों की संख्या	सप्ताह में जारी सत्यापन प्रमाण–पत्रों की संख्या		स्थाई व्यापारी जिन्हें एक से अधिक सत्यापन पत्र जारी किये गये उनकी संख्या
			स्थाई व्यापारी	फेरीवाला	
1	2	3	4	5	6

संयुक्त नियंत्रक
नाप–तौल म0प्र0 भोपाल

उपयोक्ताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन

स्थान :..............................

तारीख :............................

सेवा में,

निरीक्षक

नाप–तौल

....

महोदय्

मैं/हम बांट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम 1985 की धारा 16,17 और 18 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अपेक्षानुसार अपना नाम बांट और माप क उपयोक्ता रजिस्टर में रजिस्टर्ड कराना चाहता हूँ/चाहते है .

1. व्यक्ति/कम्पनी फर्म का नाम ....
....

2. पूरा पता ....
....

3. शाखाएं यदि कोई है, उनके पूरे पते और ....
रजिस्ट्रीकरण संख्याक सहित(नगरपालिका/वाणिज्यकर)...
....

4. स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और / या भागीदारों ....
और लिमिटेड कम्पनी की दषा में प्रबंध निदेषक/ ....
(निदेषकों) का / के नाम और पता/पते ....

5. किये जा रहे कारोबार की प्रकृति ....

6. प्रयुक्त बांटो, मापों, तौल और माप उपकरणों...
के ब्यौरे (अभिधान/किस्में, मात्रा) ....

....

हस्ताक्षर

बांटों और मापों के उपयोक्ताओं के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र

तीन प्रतियों में तैयार किया जाए

मध्यप्रदेष सरकार

विधिक माप–विज्ञान नियंत्रक का कार्यालय

बही सं.

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक संख्या................................ तारीख...

बांट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूॅ कि नीचे दिये गये पते पर निम्नलिखित व्यक्ति/कम्पनी/फर्म को बांट और माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 की धारा 17 के अधीन बांटो और मापों के उपयोक्ता के रूप में रजिस्टर कर लिया गया है

1. व्यक्ति/कम्पनी/फर्म का नाम और पूरा पता..
....

2. षाखाएं यदि कोई है, उनके पूरे पते और ....
रजिस्ट्रीकरण संख्यांक सहित (नगरपालिका/वाणिज्यकर)...

3. किये जा रहे कारोबार/उत्पादित वस्तुएं या ....
माल की (केवल विनिर्माता कम्पनियों के लिये) प्रकृति, ...

4. प्रयुक्त बांटों, मापों, तौल और माप उपकरणों के ....
ब्यौरे (अभिधान/किस्म, मात्रा) ....
....

....

व्यक्ति/प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :– यदि क्रियाकलापों को निलंबित करने की वांछा है तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र रद्द किये जाने के लिये इस कार्यालय को अभ्यर्पित किया जाए .

उपयोक्ताओं के लिये रजिस्ट्रीकण के लिये शर्तें

1. वह व्यक्ति जिसके पक्ष में रजिस्ट्रीकण का यह प्रमाण–पत्र जारी किया गया है :–

(क) अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त नियमों के सभी सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करेगा ;

(ख) रजिस्ट्रीकण के इस प्रमाण–पत्र को उस परिसर में जिससे वह संबंधित है किसी सहजदृष्य स्थान में प्रदर्षित करेगा ;

(ग) किन्हीं ऐसे साधारण या विषेष निर्देषों का पालन करेगा , जो विधिक माप विज्ञान नियंत्रक द्वारा समय–समय पर दिए जाए .

2. पते में परिवर्तन होने पर उसकी सूचना, जारी करने वाले प्राधिकारी को तत्काल दी जानी चाहिए और वह परिवर्तन रजिस्ट्रीकण के इस प्रमाण–पत्र में दर्ज किया जाना चाहिए .

अनुसूची 3

मध्यप्रदेष शासन विधिक माप–विज्ञान नियंत्रक का कार्यालय मध्यप्रदेष

बांटों और मापों क उपयोक्ताओं के रजिस्ट्रीकरण

ग्राम.......................................तालुका..

जिला..

स.क्र.	बाटों और मापों के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का नाम और पता	शाखाए यदि कोई है पते सहित	किए जा रहे कारबार की प्रकृति
1	2	3	4

प्रयुक्त बांट और माप	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	तारीख		टिप्पणियां
		रजिस्ट्रीकरण	नवीकरण	
5	6	7	8	9